

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )**

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 44/2018

उनवान

देवी पुत्र नाहरा जाति रावत निवासी ग्राम रूपारेल, राजौसी तहसील नसीराबाद  
— वादी :- जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. गोपाल,
2. रतन,
3. शंकर,
4. कमला पि० नाहरा,
5. लाडी पत्नी मेवा,
6. राजकुमार,
7. सम्पत पि. मेवा,
8. बन्ना ना.बा.
9. मंजू ना.बा. पि० मेवा जरियें संरक्षक माता लाडी जाति रावत नि० रूपारेल राजौसी,
10. नसीराबाद मैनेजर बैंक ऑफ बडौछा शाखा राजगढ़, नसीराबाद,
11. राज० सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

— प्रतिवादीगण :- 1 से 10 अनुपस्थित  
11 जरियें राज० पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज० काश्त० अधि० 1955

—: निर्णय :-

दिनांक :- 1.4.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम राजौसी के खाता संख्या 220/203 किता 21 रकबा 4.01 की आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की है। जिस पर वादी व प्रतिवादीगण का अलग-अलग हिस्सा निहित है। उक्त आराजी का आज दिनांक तक विभाजन नहीं हुआ है जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलंदाजी कर रहे हैं। एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमदा है।



उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद ( अजमेर )

अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 10 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की है व वादी द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में खातेदारी उद्घोषणा नहीं चाही गयी है। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने के कारण जवाब नहीं पेश करना जाहिर किया। प्रकरण में कोई खण्डन पेश नहीं होने से तनकी कायम नहीं की गयी।


अधिवक्ता वादी ने प्रकरण में कोई साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया।

बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण के नाम सह खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी का विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज0 पैरोकार ने जवाब नहीं पेश किया है। वादी द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा है। आराजी मुतनाजा के विभाजन से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पेश कर सकते है। वादी विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है।

अतः राजोसी के खाता संख्या 220/203 किता 21 रकबा 4.01 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादी व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद



प्राथमिक डिकी व मुकदमें इब्दाई  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

देवी बनाम गोपाल वगै०


दावा बाबत :- 53, 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 44/2018

पेश करने की दिनांक - 19.04.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई अभिभाषक राज० पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :-

राजोसी के खाता संख्या 220/203 किता 21 रकबा 4.01 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादी व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक \_\_\_\_\_ को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 1 माह 04 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई


मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा  
स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प वजह सबूत  
मेहनताना वकील  
फीस कमिश्नर  
खर्चा गवाहान  
वाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प अरजी  
मेहनताना वकील  
खर्चा गवाहान  
फीस कमिश्नर  
वाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

मिजान

मिजान

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद